[redacted]

648
7/10/12

3
13.00

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, लखनऊ।
वाद सं०- 173/12-13, अन्तर्गत धारा - 143 ZALR Act
अकबरी बेगम मेमोरियल ट्रस्ट बनाम उ०प्र० सरकार
ग्राम- गनेशपुर रहमानपुर, परगना- तहसील व जिला-
लखनऊ। निर्णीत दिनांक - 29/11/12
(1) प्रार्थनापत्र की प्रतियाँ निरस्त किया जाता है।
(2) नकल दाखा प्रति आदेश दिनांक- 31/12 संलग्न है।

Chairman
Akbari Begum Memorial Trust
Lucknow

648
18/01/13

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहा०कले० (प्र०श्रे०), सदर, लखनऊ।

वाद संख्या : 173/12-13
अकबरी बेगम मेमोरियल ट्रस्ट
बनाम उ०प्र० सरकार
धारा : 143 जे०ए०एल०आर० एक्ट
ग्राम : गनेशपुर रहमानपुर, परगना,
तहसील व जिला लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही अकबरी बेगम मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन हाजी मोहम्मद इस्लामुद्दीन पुत्र स्व० मो० खलील निवासी भवन संख्या – 8, देव नगर विस्तार, निकट सेक्टर – 9 चौराहा, इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 जे०ए०एल०आर० एक्ट के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अभिलिखित है कि प्रार्थी भूमि खसरा संख्या 183 मि० रकबा 0.506 है० भूमि स्थित ग्राम गनेशपुर रहमानपुर के मालिक, काबिज, दाखिल है। उक्त भूमि के चारो तरफ आबादी होगयी है। भूमि में चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल है एवं कालेज का निर्माण हो चुका है, जिसमें अकबरी बेगम कालेज संचालित है। अन्त में प्रार्थी द्वारा अपेक्षा भूमि को गैर कृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 19.11.2012 के अनुसार प्रश्नगत गाटा संख्या 183 रकबा 1.129 है० में से रकबा 0.506 है० आवेदक के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर विद्यालय निर्मित है। कृषि कार्य नही किया जाता है। उक्त भूमि में कृषि कार्य, पशु पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण आदि नही किया जाता है। भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की नही है। नियम 135(6) के अनुसार निर्मित क्षेत्रफल की पैमाइश की गई है एवं नियमानुसार शुल्क जमा किया गया है। अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित अग्रसारित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर ल०वि०प्रा०/नगर निगम को नोटिस जारी की गयी। जो बाद तामील पत्रावली पर संलग्न है। किसी प्रकार की कोई आपत्ति पत्रावली पर प्रस्तुत नही हुई।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार, सदर की आख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि में वादी भूमि पर विद्यालय निर्मित है। कृषि कार्य नही किया जाता है। उक्त भूमि में कृषि कार्य, पशु पालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण आदि नही किया जाता है। प्रार्थी द्वारा वादीय भूमि

Chairman
Akbari Begum Memorial Trust
Lucknow

648
12/01/13

पर हुये निर्माण का छाया चित्र भी पत्रावली पर संलग्न किया गया है। ऐसी दशा में मौके पर उक्त भूमि का उपयोग गैर कृषिक होने के कारण अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नही है।

आदेश

उक्त प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 19.11.2012 की पुष्टि की जाती है। तद्नुसार ग्राम गनेशपुर रहमानपुर, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की गाटा संख्या 183 रकबा 1.129 है0 में से रकबा 0.506 है0 भूमि जो कि अकबरी बेगम मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन हाजी मोहम्मद इस्लामुद्दीन पुत्र स्व0 मो0 खलील निवासी भवन संख्या – 8, देव नगर विस्तार, निकट सेक्टर – 8 चौराहा, इन्दिरा नगर, लखनऊ के हिस्से वाली भूमि है, को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नही होगा। इस भूमि का उपयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना – 2021 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा 144 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार, सदर, लखनऊ को व आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24/12/12

(अरुण कुमार)
उप जिलाधिकारी / सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0),
सदर, लखनऊ

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 24/12/12 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(अरुण कुमार)
उप जिलाधिकारी / सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0),
सदर, लखनऊ

Chairman
Akbari Begum Memorial Trust
Lucknow

नकल प्रार्थनापत्र देने की तिथि: 12/01/13
नकल तैयार करने की तिथि: 12/01/13
नकल जारी करने की तिथि: 12/01/13
प्रतिलिपि शुल्क: 13.00
शब्दों की संख्या:
प्रतिलिपि कर्ता:
मुकाबलाकर्ता:
तिथि: 12/01/13

प्रमाणित प्रतिलिपि
लिपिक
उप जिलाधिकारी(न्यायिक)
(सदर) लखनऊ
12/01/2013